अपर मुख्य सचिव
uploaded 2/5/25
1515

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– NHM/BHDS/51/2025- प०प०उद्या० 26- /पटना दिनांक 14/05/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से फूल (गेंदा) विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 632.50 लाख (छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से फूल (गेंदा) विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 632.50 लाख (छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गेंदा फूलों की खेती को बढ़ावा देते हुए बिहार राज्य में गेंदा फूल उत्पादन तथा गेंदा फूल से संबंधित उत्पाद में वृद्धि करते हुए किसानों की आजीविका सुदृढ़ कर उनकी आय में वृद्धि करना है। घटकवार कार्ययोजना अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3. इस योजना का घटकवार विवरणी निम्नवत् है –

3.1 **गेंदा के फूल की खेती (Marigold Flower cultivation)** :– इस घटक के अन्तर्गत किसानों को गेंदा के फूल की खेती हेतु पौध माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। गेंदा की फूल की खेती हेतु इकाई लागत 80,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् 40,000/– रू० प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। गेंदा की फूल की खेती का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

इस घटक के अन्तर्गत लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान एकमुश्त पुष्पण (Flowering) के पश्चात् संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा उपरान्त संतुष्ट पाये जाने पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा किया जाएगा।

3.2 **मालवाहक वाहन** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों को गेंदा फूल की आवागमन की सुविधा हेतु मालवाहक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। मालवाहक वाहनों का वैरिएंट/मॉडल बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध रहते हैं, अतएव इस घटक अन्तर्गत अनुदान का भुगतान आवेदक द्वारा जमा किये गये विपत्रों में अंकित वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत या उक्त अवयव/घटक के निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अर्थात 3.250 लाख रूपये दोनों में जो राशि न्यूनतम होगा, वह राशि आवेदक को अनुदान के रूप में देय होगा। मालवाहक वाहन का लक्ष्य मुख्यालय स्तर पर संधारित किया जायेगा एवं जिलों से प्राप्त आवेदन के अनुरूप जाँचोपरान्त अनुशंसा के आधार पर अनुदान भुगतान की कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य घटकों के लिए निर्धारित इकाई लागत राशि दिनांक 29.05.2020 को आयोजित यूनिट कॉस्ट कमिटि की बैठक से स्वीकृत है। वास्तविक ईकाई लागत राशि एवं आपूर्तिकर्ता का चयन बिहार वित्तीय नियमावली की सुसंगत प्रावधानों के आलोक में करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना संचालन हेतु गेंदा पौध का उत्पादन विभाग के मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर, भागनबिगहा के द्वारा पुर्वानुमति के साथ किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

7. विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। साथ ही विज्ञापन की प्रति सभी जिलों में स्थापित जिला उद्यान कार्यालयों/प्रखंड विकास कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित कराये जायेंगे, ताकि कृषकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी कृषकों को विभाग के Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा।

8. इस योजना अन्तर्गत एक किसान को न्यूनतम 0.1 हे० तथा अधिकतम 2.00 हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा। यह योजना खरीफ मौसम हेतु स्वीकृत है।

9. योजना का लाभ DBT Portal पर पंजीकृत इच्छुक किसानों को ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर दिया जाएगा।

10. जिलावार आवंटित लक्ष्य की उपलब्धि ससमय नहीं होने पर इसे माँग अनुरूप राज्य के अन्य जिलों में परिवर्तित निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

11. योजनान्तर्गत राशि बजट में उपबंधित अनुपात सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (78.537:20.0:1.463) के अनुपात अनुरूप है। लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

12. इस योजनान्तर्गत 10500 मानव दिवस सृजन होना सम्भावित है।

13. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित कोषागार से Form No. BTC-42 पर CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

15. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

18. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि

को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

19. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.4910	496.74652
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.0000	126.50000
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.5090	9.25348
योग	**24300.00**	**632.50000**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

20. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–02.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव को अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/51/2025 के पृ0सं0–21/टि0 पर दिनांक–13.05.2025 को प्राप्त है।

21. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

22. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/51/2025 के पृष्ठ संख्या–23/टि० पर दिनांक–14.05.2025 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–310 दिनांक–14.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Phul Vikash (632.50).doc

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक: 14/05/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक 14/05/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक 14/05 2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक 14/05/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक 14/05/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी,/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/51/2025- पी०पी०एम०- 26 - /पटना दिनांक 14/05/ 2025

प्रतिलिपि : ✓उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

Annual Action Plan of Flower Development Scheme (2025-26)

(Physical in Ha./Nos. & Financial in Lakh Rs)

Sl. No	Name of Component	Total target	Unit Cost	Total Amount	Subsidy (%)	Scheme Amount	Remarks
1	Marigold	1500	0.800	1200.00	50%	600.0000	
2	Carriage Vehicle	10	6.500	65.00	50%	32.5000	
			Total	1265.00		632.5000	

(तृप्ति गुप्ता) नितेश कुमार राय (अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में फूल (गेंदा) विकास योजना अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक हे०/सं० में एवं वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	गेंदा		मालवाहक वाहन		कुल योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	अररिया	20	8.000			**20**	**8.0000**
2	अरवल	10	4.000			**10**	**4.0000**
3	औरंगाबाद	50	20.000			**50**	**20.0000**
4	बाँका	10	4.000			**10**	**4.0000**
5	बेगूसराय	20	8.000			**20**	**8.0000**
6	भागलपुर	80	32.000			**80**	**32.0000**
7	भोजपुर	60	24.000			**60**	**24.0000**
8	बक्सर	15	6.000			**15**	**6.0000**
9	दरभंगा	40	16.000			**40**	**16.0000**
10	गया	80	32.000			**80**	**32.0000**
11	गोपालगंज	25	10.000			**25**	**10.0000**
12	जमुई	30	12.000			**30**	**12.0000**
13	जहानाबाद	40	16.000			**40**	**16.0000**
14	कैमूर	25	10.000			**25**	**10.0000**
15	कटिहार	40	16.000			**40**	**16.0000**
16	खगड़िया	20	8.000			**20**	**8.0000**
17	किशनगंज	10	4.000			**10**	**4.0000**
18	लखीसराय	20	8.000			**20**	**8.0000**
19	मधेपुरा	20	8.000			**20**	**8.0000**
20	मधुबनी	15	6.000			**15**	**6.0000**
21	मुंगेर	10	4.000			**10**	**4.0000**
22	मुजफ्फरपुर	40	16.000			**40**	**16.0000**
23	नालन्दा	60	24.000			**60**	**24.0000**
24	नवादा	40	16.000			**40**	**16.0000**
25	पश्चिमी चम्पारण	90	36.000			**90**	**36.0000**
26	पटना	90	36.000			**90**	**36.0000**
27	पूर्वी चम्पारण	70	28.000			**70**	**28.0000**
28	पूर्णियाँ	40	16.000			**40**	**16.0000**
29	रोहतास	30	12.000			**30**	**12.0000**
30	सहरसा	15	6.000			**15**	**6.0000**
31	समस्तीपुर	90	36.000			**90**	**36.0000**
32	सारण	60	24.000			**60**	**24.0000**
33	शेखपुरा	15	6.000			**15**	**6.0000**
34	शिवहर	15	6.000			**15**	**6.0000**
35	सीतामढ़ी	50	20.000			**50**	**20.0000**
36	सिवान	25	10.000			**25**	**10.0000**
37	सुपौल	50	20.000			**50**	**20.0000**
38	वैशाली	80	32.000			**80**	**32.0000**
39	मुख्यालय			10	32.500	**10**	**32.5000**
	Total	**1500**	**600.000**	**10**	**32.500**	**1510**	**632.5000**

(तृप्ति गुप्ता) नितेश कुमार राय (अभिषेक कुमार)

(अनुसूची –3)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तहत् फूल (गेंदा) विकास योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (@78.537)	अनुसूचित जाति (@20.00)	अनुसूचित जनजाति (@1.463)	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	6.28296	1.60000	0.11704	8.00000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	3.14148	0.80000	0.05852	4.00000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	15.70740	4.00000	0.29260	20.00000
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	3.14148	0.80000	0.05852	4.00000
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	6.28296	1.60000	0.11704	8.00000
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	25.13184	6.40000	0.46816	32.00000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	18.84888	4.80000	0.35112	24.00000
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	4.71222	1.20000	0.08778	6.00000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	25.13184	6.40000	0.46816	32.00000
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	7.85370	2.00000	0.14630	10.00000
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	9.42444	2.40000	0.17556	12.00000
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	7.85370	2.00000	0.14630	10.00000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	6.28296	1.60000	0.11704	8.00000
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	3.14148	0.80000	0.05852	4.00000
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	6.28296	1.60000	0.11704	8.00000
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	6.28296	1.60000	0.11704	8.00000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	4.71222	1.20000	0.08778	6.00000
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	3.14148	0.80000	0.05852	4.00000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	18.84888	4.80000	0.35112	24.00000
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	28.27332	7.20000	0.52668	36.00000
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	28.27332	7.20000	0.52668	36.00000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	21.99036	5.60000	0.40964	28.00000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	9.42444	2.40000	0.17556	12.00000
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	4.71222	1.20000	0.08778	6.00000
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	28.27332	7.20000	0.52668	36.00000
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	18.84888	4.80000	0.35112	24.00000
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	4.71222	1.20000	0.08778	6.00000
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	4.71222	1.20000	0.08778	6.00000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	15.70740	4.00000	0.29260	20.00000
36	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	7.85370	2.00000	0.14630	10.00000
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	15.70740	4.00000	0.29260	20.00000
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	25.13184	6.40000	0.46816	32.00000
39	निदेशक उद्यान, बिहार	25.52452	6.50000	0.47548	32.50000
	कुल	**496.74652**	**126.50000**	**9.25348**	**632.50000**

(छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार रूपये मात्र)

(तृप्ति गुप्ता) नितेश कुमार